

मध्यप्रदेश शासन  
गृह विभाग  
बल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक. 2362/651/2017/दो-ए(3)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक: 14/12/2017

- 1) जिला कलेक्टर समस्त जिले (म.प्र.)
- 2) पुलिस अधीक्षक, समस्त जिले (म.प्र.)
- 3) लोक सेवा केन्द्र संचालक समस्त (म.प्र.)

विषय: "समाधान एक दिन-तत्काल सेवा" व्यवस्था के अंतर्गत गृह विभाग की सेवाएं प्रदान करने विषयक।

1. सेवाओं का सूची :-

क्रमांक	सेवा	सेवा का उद्देश्य
1)	11.2 वरिष्ठ स्तर से एफ.आई.आर की प्रति प्रदाय करना।	दंड प्रक्रिया संहिता के तहत एफ.आई.आर दर्ज होने के तुरंत पश्चात एफ.आई.आर की कॉपी शिकायतकर्ता को उपलब्ध करायी जाना चाहिए। परन्तु यदि किसी कारणवश शिकायतकर्ता को एफ.आई.आर की प्रति प्राप्त नहीं हुई है अथवा उसे पुनः प्राप्त करना चाहता है तो वह इस सेवा का उपयोग कर एफ.आई.आर की प्रति प्राप्त कर सकता है।
2)	11.6 मर्ग इंटीमेशन की छायाप्रति देना।	इस सेवा का उद्देश्य मृतक के परिवार के सदस्य के आवेदन पर मर्ग इंटीमेशन की छायाप्रति प्रदान करना है। ताकि मृतक के परिजनों को मृत्यु की जानकारी प्राप्त हो सके। और वे आवश्यकतानुसार अन्य प्रयोजनों के लिए भी उसका उपयोग कर सके।

2. पदाभिहित अधिकारी का पद नाम एवं समय सीमा :-

जिला कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, समय सीमा 1 दिवस (इन सेवाओं के लिए आवेदन लोक सेवा केन्द्रों पर लिए जाकर, जिला मुख्यालय पर स्थित संबंधित थाने को उचित कार्यवाही हेतु रनर के माध्यम से प्रेषित किए जायेंगे। थाने द्वारा (रनर के माध्यम से) उपलब्ध कराये गए सेवा दस्तावेज को लोक सेवा केन्द्र से आवेदक को उपलब्ध कराए जायेंगे। अगर संबंधित थाना लोक सेवा केन्द्र के 15 किलोमीटर के दायरे में होगा तो सेवा उसी दिवस प्राप्त होगी, लेकिन 15 किलोमीटर से अधिक दूरी पर होने की दशा में सेवा अगले कार्य दिवस प्राप्त हो सकेगी।

3. सेवा प्रदान करने के लिए आवश्यक दस्तावेज और निराकरण प्रक्रिया :-

क्रमांक	सेवा	आवश्यक दस्तावेज	आवेदन निराकरण की प्रक्रिया
1)	11.2 वरिष्ठ स्तर से एफ.आई.आर की प्रति प्रदाय करना।	1) पहचान पत्र 2) एड्रेस प्रूफ की प्रमाण प्रति	1) आवेदन भरते समय आवेदक द्वारा मोबाईल नंबर दर्ज किया जाना अनिवार्य है, इसके अलावा आधार एवं ईमेल एड्रेस (यदि उपलब्ध हो) भी भरा जायेगा।
2)	11.6 मर्ग इंडीमेशन की छायाप्रति देना।	1) पहचान पत्र 2) एड्रेस प्रूफ की प्रमाण प्रति	2) आवेदक आवेदन एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ लोक सेवा केन्द्र में प्रस्तुत करेगा। 3) लोक सेवा केन्द्र पर प्राधिकृत पदाभिहित अधिकारी आवेदक का आवेदन एवं दस्तावेजों की पूर्ति की जांच करेंगे। 4) जाँच में उचित दस्तावेज पाए जाने पर पदाभिहित अधिकारी द्वारा ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में लोकसेवा लॉग-इन के माध्यम से आवेदन भरा जायेगा। 5) जांच में दस्तावेज उचित पाए जाने पर रनर के माध्यम से संबंधित थाने को प्रेषित किया जाएगा। 6) संबंधित थाने द्वारा हस्ताक्षरित एफ.आई.आर की प्रतिलिपि/मर्ग इंडीमेशन की छायाप्रति रनर के माध्यम से लोक सेवा केन्द्र को भेजी जायेगी। 7) इस प्रति को पदाभिहित अधिकारी द्वारा संबंधित आवेदक को प्रदाय किया जायेगा। 8) संबंधित थाना प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त वांछित सेवा दस्तावेज उसी कार्य दिवस में पदाभिहित अधिकारी को रनर द्वारा अनिवार्य रूप से प्रेषित किए जाएँ ताकि आवेदक को सेवा प्रदान की जा सके। 9) पदाभिहित अधिकारी सेवा प्रदाय के बाद इस सेवा को पोर्टल में भी प्रदायित श्रेणी में अपडेट कर क्लोज करेंगे।

4 .आवेदन करने का स्थान :- लोक सेवा केंद्र


5 .अन्य महत्वपूर्ण बिंदु:-

- 1) मर्ग इन्टीमेशन की छायाप्रति सेवा प्राप्त करने के लिए आवेदक को मृतक के परिवार का सदस्य य परिवार का सदस्य न होने की स्थिति में मृतक का निकट संबंधी होना अनिवार्य है।  
(आरोपी/संदेही मृतक के रिश्तेदार को छोड़कर)

- 2) एफ.आई.आर की प्रतिलिपि सेवा प्राप्त करने के लिए, कोई भी नागरिक जो स्वयं द्वारा दर्ज की हुई एफ.आई.आर की प्रतिलिपि चाहता हो आवेदन कर सकता है।
- 3) एक दिवस समाधान के अंतर्गत प्राप्त होने वाले आवेदन लोक सेवा केन्द्रों पर दोपहर 1.00 बजे तक ही स्वीकृत किए जायेंगे.
- 4) निर्धारित समय सीमा के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन इससे बाहर होंगे और उन्हें सेवा अगले कार्यदिवस में प्रदाय की जाएगी.

**6. अपील:-**

समाधान एक दिवस प्रक्रिया में भी अधिनियम अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार आवेदक लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत प्रावधानों अनुसार अपील कर सकेगा।

  
(के.के. सिंह)

अपर मुख्य सचिव

म.प्र. शासन, गृह विभाग


मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक: 14/12/2017

पृ. क्रमांक 2363/651/2017/दो-ए(3)

प्रतिलिपि:-

1. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. विशेष पुलिस महानिदेशक(शिकायत), पुलिस मुख्यालय, भोपाल, म.प्र.।
3. अति० पुलिस महानिदेशक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, पु.मु. भोपाल, म०प्र०।
4. अति० पुलिस महानिदेशक, लोक सेवा गारंटी, पु.मु. भोपाल, म०प्र०।
5. सचिव, लोक सेवा प्रबंधन विभाग, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल।
6. समस्त संभागायुक्त, समस्त संभाग, मध्यप्रदेश।
7. समस्त पुलिस महानिरीक्षक, समस्त रेंज/जोन, मध्यप्रदेश।
8. कार्यपालन संचालक, म०प्र० राज्य लोक सेवा अभिकरण, पुस्तक भवन, चतुर्थ तल, अरेरा हिल्स, भोपाल।

  
उप सचिव

म०प्र० शासन, गृह विभाग